अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

देहरादून, उत्तराखण्ड

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित (100 प्रतिशत राज्य पोषित) छात्रवृत्ति से संबधित आवेदन पत्र के प्रारूप, पात्रता, आवेदन हेतु प्रेषित संलग्नकों एवं छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित दरों का विवरण–

(2022–23)

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण,

शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, निकट आश्रम पद्धति विद्यालय, देहरादून।

वर्ष 2022–23 के लिए अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक(100 प्रतिशत राज्य पोषित) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाने विषयक

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के अन्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आंमत्रित करता है, जो उत्तराखण्ड राज्य में कक्षा 1 से 10वीं स्तर के किसी शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय/संस्थान/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, द्वारा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत् हैं। इस संबध मे निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र कक्षा 01 से 10वीं तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP2.0) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक संलग्नको के साथ संबधित शिक्षण संस्थान/मदरसा से सत्यापित करा कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को ऑनालाइन प्रेषित करना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार से भरे गये ऑफलाइन आवेदन पत्र सीधे शासन/निदेशालय को प्रेषित किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/अभिभावक/संस्थाध्यक्ष की होगी।

पात्रता संबधी मानदण्डः–

1. विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
2. यह छात्रवृत्ति केवल मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म के अनुयायियों को देय हैं।
3. विद्यार्थियों के अभिभावक की वार्षिक आय (एक लाख) रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. विद्यार्थियों को पिछली कक्षा उत्त्तीण करना अनिवार्य हैं।
5. विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा सत्र में यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति पा रहा है, तो इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।
6. केवल राजकीय, परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/मदरसों के विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति पाने हेतु अर्ह होगा।
7. उपरोक्त योग्यता रखने वाले विद्यार्थी निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रियान्तर्गत आवेदन करते हुए समयान्तर्गत संबन्धित विद्यालय के प्राधानाध्यपक/प्रधानाचार्य के माध्यम से पूर्ण करके जिला अल्पसंख्यक/जिला समाज कल्याण कार्यालय में प्रेषित करेंगे।
8. **राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं से आय के संबध में प्रमाण पत्र भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की भांति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से जारी किया गया हो मान्य होगा।**
9. इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं का स्वयं का खाता या उनके अभिभावक का खाता सी.बी.एस ब्रांच में होना अनिवार्य है जो कि आधार नम्बर से यथासम्भव सीडेड हो। अतः खाता संख्या एवं IFSC कोड़ गलत होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की दर

अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10वीं तक के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निम्नानुसार छात्रवृत्ति दरें निर्धारित की गयी हैं।

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक			अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता–पिता की आय सीमा	12 माह
	1–5	रू0 50/–	मता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (एक लाख) रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	12 माह
	6–8	रू0 80/–		12 माह
	9–10	रू0 120/–		12 माह

अभ्यर्थियों हेतु विशेष नोटः–

1. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी जायेगी, तो इसके लिए अभ्यर्थी/संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेवार होगें। त्रुटि सुधार हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही इस संबध में अभ्यर्थी/संस्थान से कोई पत्राचार किया जायेगा।
2. यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासन का अथवा छात्रवृत्ति की कोई अन्य अर्हता व शर्त का उल्लघंन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रदद् किया जा सकता है।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रदद् कर दी जायेगी और दी गई छात्रवृत्ति की धनराशि को राज्य सरकार/प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जायेगा।
4. यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन हेतु किसी प्रकार के शुल्क की मांग की जाती है तो उसके विरूद्ध प्रकरण संज्ञान में आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक(रा0पो0) के ऑनलाइन आवेदन/वेरिफिकेशन हेतु Work Flow निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

School/Institue → District

परिशिष्ट–ख

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/स्वयं द्वारा दिया गया घोषणा पत्र का प्रारूप

मैं ....(विद्यार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री... ....जो ....का स्थाई/मूल निवासी है (ग्राम, तहसील, ब्लाक, जिला और राज्य का उल्लेख करें) यह घोषणा करती हूँ कि मैं (मुस्लिम/सिक्ख/ईसाई/बौद्ध/पारसी/जैन)..समुदाय से संबधित हूँ।

पूरा नाम....................................

पता...

....

स्थान–

दिनांक–